न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 08/2020

निर्णय दिनांक 27.01.2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का राणेर (बी) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर **(प्रार्थी)**

बनाम

सोमकी पत्नी स्व. नन्दू कौम सांसी साकिन लोहसना बडा तहसील व जिला चुरू हाल चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर। **(अप्रार्थियां)**

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणेर (बी) ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थियां सोमकी पत्नी स्व. नन्दू कौम सांसी साकिन लोहसना बडा तहसील व जिला चुरू हाल चक 3 जी.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने चक 3 जी.एम के मु.न. 72/21 के कि.न. 1/2 = 0.02, 10/2 = 0.02, 11/2 = 0.02, 24/2 = 0.02, 25/1 = 0.02, 20/1 = 0.02, 21/2 = 0.04, 22/1 = 0.02, 23/2 = 0.02 कुल 1.00 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर कृषि सम्वत् 2077 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो, गेहूँ की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को पेशी में ली गई। अप्रार्थिया नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थिया के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थियां को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थियां के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 88/–अक्षरे अट्ठ्यासी रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं अप्रार्थियां को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है ।

भू.अ.निरीक्षक संसारदेसर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ (बीकानेर)